[2019] 1 S.C.R. 8

रवि अग्रवाल

बनाम

यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य

(रिट पेटिशन (सिविल) न . 1107/2017)

जनवरी 3, 2019

[ए. के. सिकरी, अशोक भूषण एवं एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्तिगण)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, प्रशांत सिंह, मेरूसागर सामंतराय, रोहित राव, लीतेश कृष्णा, मिस अनिल कटियार, आर. चंद्रचूड़, करण शर्मा, नितिन ठुकराल, प्रतिवादियों के तरफ से वकील

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हुआ

न्यायालय का यह फैसला न्यायमूर्ति ए के सिकरी द्वारा सुनाया गया

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता रवि अग्रवाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत एक जनहित याचिका के रूप में की गई है । यह याचिका उन विकलांग बच्चों के हित के लिए दायर की गई है जिनके अभिभावक भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन आधार पालिसी (तालिका ११४) अपने बच्चों की आजीविका के लिए लिए हैं। याचिकाकर्ता खुद भी एक दिव्यांग हैं क्यूंकि वह सेरिब्रल डिफागिए से ग्रसित हैं। याचिकाकर्ता एक आयकरदाता भी हैं जिनका आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) AAPPA5222 हैं। उनका कहना है कि इस याचिका में उठाये गए विषय में उनकी कोई व्यक्तिगत रूचि नहीं है जो उन्होंने विकलांग बच्चों की ओर से दायर की है ।

2. आयकर अधिनियम, १९६१ (इसके बाद "अधिनियम" से संदर्भित) की धारा ८० डीडी में विकलांगता की स्थिति में, आश्रित के लाभ के लिए एकमुश्त राशि की वार्षिकी के भुगतान का प्रावधान है वैसी परिस्थिति में जब वैसा व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के वैसे सदस्य की मृत्यु होती है जिसके नाम पर उक्त योजना में सदस्यता निर्धारित है। यद्यपि यह एक लंबा प्रावधान है लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए इसके उप–भाग (1), (2) और (3) को पुन: प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा,जो इस प्रकार हैं–

80 डीडी. विकलांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित भरण–पोषण के संबंध में कटौती।– (1) **जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान,–**

(क) कोई व्यय किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, भरण–पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है,

वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचहत्तर हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा आश्रित गंभीर नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पच्चीस हजार" रखे गए हों।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:–

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम में ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की, जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध है; –

(ख) निर्धारिती ऐसे आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए आश्रित का, जो नि:शक्त व्यक्ति है, अथवा उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यास को नाम निर्देशित करता है।

(3) यदि आश्रित की, जो नि:शक्त व्यक्ति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर रकम को उस पूर्ववर्ष में,

जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तदनुसार वह उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी।

3. उप–धारा (1) के खंड (बी) के अनुसार, यदि एक निर्धारिती, जो एक व्यक्ति या एचयूएफ है, ने एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता आदि द्वारा योजना के तहत कोई राशि का भुगतान या जमा किया है, तो वह अपने पिछले वर्ष के सकल कुल आय से रु. 75,000/– की कटौती का हकदार है। यह धारा 80 डीडी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। हमारा ताल्लुक उप–धारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित शर्त से है । इस शर्त के अनुसार,वैसे व्यक्ति या एचयूएफ के सदस्य, जिसके नाम पर योजना की सदस्यता बनाई गई है, की मृत्यु की स्थिति में विकलांग आश्रित को वार्षिकी या एकमुश्त राशि मिलेगी। उपरोक्त विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए एलआईसी ने विकलांग आश्रितों के लाभ के लिए *'जीवन आधार (तालिका 114)'* नाम से बीमा पॉलिसी निकाली है। तदनुसार जिन करदाताओं ने विकलांग आश्रितों के लाभ के लिए को जीवन आधार पॉलिसी लिया है तथा उक्त पॉलिसी के तहत राशि का भुगतान या जमा किया है, वह अधिनियम की धारा 80 डीडी में उल्लिखित कटौती के हकदार बन जाते हैं। एलआईसी द्वारा प्रस्तावित कथित नीति के सारांश इस योजना की प्रमुख विशेषताओं की एक झलक देती है जो यहाँ नीचे उल्लेखित किया जा रहा है :

A. <u>योजना का सारांश</u>

1) प्रवेश पर आयु (जीवन बीमित) – न्यूनतम 22 वर्ष, अधिकतम ६५ साल।
(विकलांग आश्रित – 1 वर्ष)
बीमित व्यक्ति और विकलांग आश्रित की आयु मानक आयु प्रमाण के आधार पर स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
2) अधिकतम प्रीमियम समाप्ति आयु – 75 वर्ष।
3) प्रीमियम भुगतान अवधि – 10, 15, 20, 25, 30 और 35 वर्ष।
4) पॉलिसी अवधि यह संपूर्ण जीवन योजना है।
5) बीमा राशि – न्यूनतम 50000, अधिकतम – कोई सीमा नहीं।
6) भुगतान का प्रकार – वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, एसएसएस, सिंगल भी.

7) भुगतान के तरीके पर छूट – सारणीबद्ध प्रीमियम का वार्षिक 3%, सारणीबद्ध प्रीमियम का अर्धवार्षिक 1.5%, त्रैमासिक/मासिक/एसएसएस – कोई छूट नहीं.

8) उच्च बीमा राशि पर छूट –

25,000 से 49,999 – 1 रु. प्रति 1000 बीमा राशि

50,000 और उससे अधिक – रु. 2/– प्रति 1000 बीमा राशि।

9) सभी अतिरिक्त मृत्यु दर वर्ग की अनुमति है।

10) सभी महिला श्रेणियों यानी I, II, III को अनुमति है।

11) केवल एनएमएस की अनुमति है, एनएमजी की नहीं ।

12) प्रस्ताव प्रपत्र संख्या 3000 के अलावा, बीमित व्यक्ति (प्रस्तावक) को विकलांग आश्रित की विकलांगता की घोषणा करते हुए एक परिशिष्ट तथा इस बात का एक प्रमाण पत्र कि विकलांग आश्रित नियमानुसार स्थायी शारीरिक विकलांगता (अंधापन सहित) या मानसिक मंदता से पीड़ित है, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी चिकित्सक, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि विकलांगता के कारण उस व्यक्ति की सामान्य कार्य करने या किसी लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न होने की क्षमता काफी कम हो गई है।

4. याचिकाकर्ता की परिवेदना आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र संख्या CO/CRM/PS/622/23 दिनांक २४ जनवरी २००८ से संबंधित है । इस परिपत्र के अनुसार प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति के जीवित रहने तक आश्रित को किसी भी लाभ का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस परिपत्र का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> "माता–पिता/जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पहले विकलांग आश्रित के लिए एक निश्चित उम्र के बाद वार्षिकी भुगतान की अनुमति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन सीबीडीटी/भारत सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि आश्रित को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता जब तक प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति जीवित रहे । "

5. जीवन आधार योजना में भी उपरोक्त परिपत्र का उल्लेख है जिस आधार पर पॉलिसी में परिपक्वता दावा (मैच्योरिटी क्लेम) से संबंधित खंड का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

> **"एफ. परिपक्वता दावा**
>
> 1) <u>लागू पॉलिसी या पूरी तरह से भुगतान पॉलिसी</u>

पॉलिसी में परिपक्वता दावा नहीं है। संपूर्ण जीवन पॉलिसी के तहत परिपक्वता दावे के प्रावधान, अर्थात बीमित व्यक्ति द्वारा 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, इस पॉलिसी के तहत लागू नहीं है।

माता–पिता/निश्चित आयु के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पहले विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी भुगतान की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन सीबीडीटी/सरकार भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावक/आश्वस्त व्यक्ति के जीवित रहने तक आश्रित को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। (CO/CRM/PS/622/23 दिनांक 24/01/2008)"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई इस पॉलिसी के तहत पूरी सदस्यता का भुगतान किया जाता है, तब भी इस पॉलिसी में परिपक्वता दावा नहीं होता है। प्रस्तावक/बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर ही आश्रित को राशि देय होती है।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के प्रावधान को शामिल करके, प्रतिवादी विकलांग व्यक्तियों को ऐसे विकलांग व्यक्ति के माता –पिता/अभिभावक के जीवनकाल के दौरान वार्षिकी या एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए बीमा के लाभ से वंचित कर रहे हैं, जबकि लाभार्थी बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान अन्य जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिकी मिल रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त विकलांग व्यक्ति के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

7. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 06 अगस्त 2014 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, उक्त प्राधिकरण ने अपने जवाब में सीबीडीटी के 24 जनवरी 2008 के परिपत्र के आलोक में उपरोक्त के संबंध में कोई भी मदद प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त शिकायत उठाते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। मुख्य आयुक्त ने विभिन्न तिथियों पर मामले की सुनवाई की और सीबीडीटी को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, साथ ही राष्ट्रीय ट्रस्ट के परामर्श से मामले की एक बार फिर से जांच करने की सलाह देते हुए आदेश पारित किया। उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"11. १०/०३/२०१५ को सुनवाई के दौरान, यह देखा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया था कि जीवन आधार पॉलिसी के तहत ग्राहक के एक निश्चित आयु 55, 58 या 60 वर्ष के बाद विकलांगता वाले आश्रित को वार्षिकी भुगतान की अनुमति देने का मुद्दा 2007–08 के बजटीय अभ्यास के दौरान विचार किया गया था और उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

12. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के शाशनादेश के आलोक में, सीबीडीटी या एलआईसी को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बताई गई नीति या इसके नियमों और शर्तों को लागू न करने का कोई आरोप नहीं है। हालाँकि, इस कार्यालय का विचार है कि जीवन आधार एकमात्र एलआईसी पॉलिसी नहीं है जो आयकर छूट का लाभ देती है और केवल विकलांग व्यक्तियों के कुछ माता–पिता ही कर छूट का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए करदाता हो सकते हैं, इसके जैसी नेक इरादे वाली नीति को कर छूट जैसे लाभों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चूंकि पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य विकलांग व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, इसलिए उसे अपने जीवनकाल में यथाशीघ्र वार्षिकी प्राप्त करना शुरू कर देना चाहिए।

13. केस न २६०२/१०९३/२०१४ में शिकायतकर्ता के आरोप कि एलआईसी एजेंटों और पेशेवरों ने पॉलिसी बेचते समय उनसे कहा था कि उनके बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह हर एक लाख के बीमित राशि पर की दर से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी के सम्बन्ध में एलआईसी को सलाह दी जाती है कि वह मामले की जांच करे और कार्यवाही के इन रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर इस न्यायालय को सूचित करते हुए शिकायतकर्ता को परिणाम बताए। यदि यह स्थापित हो जाता है कि यह गलत बिक्री का मामला है, तो एलआईसी को शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा देने की सलाह दी जाती है।

14. चूंकि नोटिस के बावजूद सुनवाई के दौरान नेशनल ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और उसने सुझाव दिया है कि बीमा राशि लाभार्थियों को उसके एलआईसी के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए, नेशनल ट्रस्ट को एलआईसी से संपर्क करने और जीवन आधार का विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। एलएलसी के माध्यम से वार्षिकी के वितरण के लिए पॉलिसी

धारकों की सहमति प्राप्त करने के बाद नेशनल ट्रस्ट ऐसे पॉलिसी धारकों के संबंध में वार्षिकी की राशि प्राप्त करने के लिए नेशनल ट्रस्ट को नामांकित/ट्रस्टी बनाने के लिए एलआईसी को सूचित करेगा उन नियमों और शर्तों पर जिसे एलआईसी और नेशनल ट्रस्ट के बीच में अंतिम रूप दिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी धारकों के विकलांग आश्रितों को आश्रित के जीवित रहने तक वार्षिकी की राशि वितरित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए।

15. दोनों शिकायतकर्ताओं ने दृढ़ता से महसूस किया कि अन्य पॉलिसी धारकों की तरह, जीवन आधार पॉलिसी को भी प्रस्तावक की 55 वर्ष की आयु के बाद परिपक्व होने की अनुमति दी जानी चाहिए और वार्षिकी राशि नेशनल ट्रस्ट के एलएलसी के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए।

16. शिकायतकर्ताओं की मांग के आलोक में, सीबीडीटी को सलाह दी जाती है कि वह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ट्रस्ट के परामर्श से मामले की एक बार फिर जांच करे।"

8. मुख्य आयुक्त ने इस मामले को देखने के लिए सीबीडीटी को अनुस्मारक भी भेजा था। हालाँकि, सीबीडीटी के स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में, इसके बाद याचिकाकर्ता ने 15 अक्टूबर, 2015 को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से प्रधान मंत्री कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई। चूंकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो याचिकाकर्ता को ने निम्नलिखित प्राथनाओं के साथ तत्काल रिट याचिका दायर किया :

"(ए) विकलांग व्यक्ति के अभिभावक/माता–पिता द्वारा ५५/५८ वर्ष की आयु तक पहुंचने की स्थिति में साथ ही अभिभावक/माता–पिता की मृत्यु की स्थिति में विकलांग व्यक्ति को वार्षिकी या एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा ८० डीडी में संशोधन करने के लिए प्रतिवादी संख्या १ को एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(बी) विकलांग व्यक्ति के अभिभावक/माता–पिता द्वारा ५५/५८ वर्ष की आयु तक पहुंचने की स्थिति में साथ ही अभिभावक/माता–पिता की मृत्यु की स्थिति में

विकलांग व्यक्ति को वार्षिकी या एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए जीवन आधार नीति (तालिका ११४) की योजना में संशोधन करने के लिए प्रतिवादी संख्या २ को एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(सी) विकलांगता वाले व्यक्ति को वार्षिकी या एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी संख्या २ को परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिनके अभिभावक/माता–पिता पहले ही ५५/५८ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या भविष्य में ५५/५८ वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे ।

(डी) अभिभावक की मृत्यु के बाद माता–पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने के अलावा किसी और औपचारिकता के बिना विकलांग आश्रित को वार्षिकी/पेंशन के भुगतान के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए प्रतिवादी संख्या २ को परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें । पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद वार्षिकी/पेंशन के भुगतान के लिए सभी कागजी औपचारिकताएं एलआईसी द्वारा पूरी की जानी चाहिए और एलआईसी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि वार्षिकी/पेंशन के भुगतान के लिए माता–पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने को छोड़कर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं । यह प्रमाणपत्र जारी करना माता–पिता/अभिभावक के मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल होने तक लंबित वार्षिकी/पेंशन जारी करने का निर्णायक प्रमाण होना चाहिए।

(ई) ऐसे अन्य आदेश और आगे के आदेश पारित करें जो तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाएं।

9. संक्षेप में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जीवन आधार पॉलिसी का लाभ निर्धारिती/बीमित व्यक्ति की मृत्यु तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसे करदाता के जीवनकाल के दौरान भी विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

10. यूनियन ऑफ़ इंडिया ने उपरोक्त कार्रवाई का औचित्य बताते हुए अपना हलफनामा दायर किया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त अधिनियम (नंबर २), १९९८ के तहत, धारा ८० डीडी को धारा ८० डीडी और ८० डीडीए के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था । पिछली धारा ८० डीडी में किसी व्यक्ति या एचयूएफ के सदस्य के आश्रित रिश्तेदार के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किए गए किसी भी खर्च के कारण किसी व्यक्ति या

एचयूएफ को १५००० /– रुपये की कटौती का प्रावधान था। चिकित्सा उपचार, पुनर्वास आदि पर व्यय के लिए कटौती और आश्रित विकलांग व्यक्ति के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की योजना के तहत किए गए भुगतान के संबंध में समग्र धारा प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापन किया गया था। प्रस्तुतीकरण यह है कि वास्तव में धारा ८० डीडी दो धाराओं, अर्थात् ८० डीडी और ८० डीडीए के प्रावधानों को समाहित करती है। इस प्रकार, पूर्ववर्ती धारा ८० डीडीए और वर्तमान धारा ८० डीडी दोनों में प्रावधान है कि आश्रित व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि ग्राहक की मृत्यु के बाद ही वितरित की जाएगी। एलआईसी की जीवन आधार योजना अधिनियम की धारा ८०डीडीए / ८०डीडी के तहत कर लाभ को ध्यान में रखते हुए रूप – रेखा दी गई है ।

11. प्रतिवादी संख्या १ / यूनियन ऑफ़ इंडिया द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में प्रदान किया गया था कि विकलांगों की प्राथमिक देखभाल करने वाले, यानी माता–पिता या अभिभावक की मृत्यु के बाद विकलांग बच्चों के अभिभावकों को हमेशा भरण–पोषण की आवश्यकता के बारे में गंभीर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। उनमें से कई लोग अपने जीवनकाल के दौरान कुछ राशि किसी विशेष दस्तावेज (लिखत) में जमा करना चाहेंगे जिससे विकलांगों को उनकी मृत्यु पर नियमित रूप से उचित राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार, एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी भी योजना में एक वर्ष में जमा की गई निर्दिष्ट राशि की सकल कुल आय से एक अलग कटौती, विशेष रूप से निर्धारिती की मृत्यु के बाद विकलांग आश्रित के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए आवर्ती या एकमुश्त भुगतान प्रदान करने के लिए बनाई गई है और इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद क़ानून में शामिल किया गया है । चूंकि यह योजना काफी हद तक, विकलांग आश्रितों के माता–पिता/अभिभावकों के मन में उनकी मृत्यु पर उनके बच्चों के भाग्य के बारे में चिंता को कम करने के लिए रूप – रेखा दी गई थी और इसलिए जीवन आधार पॉलिसी के तहत ग्राहक की एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर विकलांग आश्रित को वार्षिकी भुगतान की अनुमति देना संभव नहीं है ।

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद १४ के आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को पूरा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा ८० डीडी के तहत कटौती विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की गई है। इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट व्यवस्था प्रदान करने के लिए यह एक वैध वर्गीकरण है। योजना का घोषित उद्देश्य विकलांग आश्रित के माता–पिता/अभिभावक को माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के बाद ऐसे आश्रित की देखभाल के लिए राशि के नियमित भुगतान

का आश्वासन देना था। वित्त विधेयक, १९९८ से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है:

> "शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग आश्रितों के माता–पिता और अभिभावकों को उपलब्ध लाभों का युक्तिकरण।
>
> धारा ८० डीडी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च के संबंध में १५,०००/– रुपये की कटौती की अनुमति है। धारा 80 डीडीए जीवन बीमा निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निर्दिष्ट योजनाओं में २०,०००/– रुपये तक की जमा राशि के संबंध में माता –पिता या अभिभावक को अलग से कटौती की अनुमति देता है। ऐसा महसूस किया गया है कि विकलांग आश्रितों के माता–पिता या अभिभावकों को हर साल विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, माता–पिता या अभिभावक को हमेशा विकलांग आश्रित के भविष्य के भरण–पोषण की आवश्यकता महसूस होगी। मौजूदा प्रावधान ऐसी स्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। माता–पिता या अभिभावक को विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर या भविष्य की जरूरतों के लिए, जैसा भी मामला हो, खर्च करने का विकल्प देने के लिए, विधेयक एक नई धारा ८० डीडी प्रदान करना चाहता है । इस प्रावधान के साथ, माता–पिता या अभिभावक विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार और भविष्य की जरूरतों के लिए उसकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से ४०,०००/– रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
>
> मौजूदा धारा ८० डीडी और ८० डीडीए का परिणामस्वरूप विलय हो जाएगा और कटौती की कुल सीमा ३५,००० रुपये से बढ़कर ४०,०००/– रुपये हो जाएगी।"

13. संविधान के अनुच्छेद १४ के आधार पर भेदभाव के तर्क के जवाब में यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कई निर्णयों का हवाला दिया गया। जहां तक प्रतिवादी नंबर २/एलआईसी का सवाल है, इसका सरल उत्तर यह है कि पॉलिसी में

खंड सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंड के अनुसार है। बेशक, एलआईसी ने भी उपरोक्त सर्कुलर के पीछे यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए कारणों का समर्थन किया है।

14. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

15. शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम की धारा ८० डीडी उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिनियम के तहत संसद द्वारा बनाया गया एक प्रावधान है, जिनके आश्रित विकलांग व्यक्ति हैं। प्रोत्साहन अधिनियम की धारा ८० डीडी में निर्दिष्ट राशि की कटौती की अनुमति देकर ऐसे व्यक्तियों को आयकर में रियायतें देना है, यदि विकलांगता वाले आश्रितों के ऐसे माता–पिता/अभिभावक इस प्रावधान में निर्दिष्ट प्रकृति की बीमा पॉलिसी लेते हैं। इसका उद्देश्य इन माता – पिता/अभिभावकों को विकलांगता वाले आश्रितों के लाभ के लिए नियमित भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उस अर्थ में, विधायिका ने अपने विवेक से ऐसी बीमा पॉलिसियों के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम के रूप में माता–पिता/अभिभावक द्वारा किए गए ऐसे योगदान के संबंध में कटौती की अनुमति देना उचित समझा। बेशक, यह कटौती तभी स्वीकार्य है जब इसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।

16. जहां तक बीमा पॉलिसी का सवाल है, इसमें एक शर्त शामिल है (जो वर्तमान रिट याचिका में लगाई गई है) कि माता–पिता/अभिभावक/आश्वस्त जीवन के जीवनकाल के दौरान विकलांग व्यक्तियों को राशि नहीं दी जाएगी। यह अधिनियम की धारा ८० डीडी (२)(बी) के अनुरूप है।

17. इस संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत को कुछ हद तक इस दलील में उचित ठहराया जा सकता है कि जब विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए भी इन निधियों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो वह ऐसे व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं दी जाएगी क्यूंकि बीमित व्यक्ति जो माता–पिता/अभिभावक है, अभी भी जीवित है। ऐसा तब भी होगा जब उक्त पॉलिसी के लिए संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो। पॉलिसी में परिपक्वता दावा नहीं है। इस प्रकार, कई वर्षों तक, यानी पॉलिसी की अवधि के दौरान, संपूर्ण प्रीमियम जमा करने के बाद भी राशि एलआईसी के पास रहेगी। ऐसा हो सकता है। हालाँकि, ऐसी नीति के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। जैसा कि धारा ८० डीडी के प्रावधानों के साथ–साथ वित्त विधेयक, १९९८ के व्याख्यात्मक ज्ञापन से पता चला है, जिसके द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था, इसका उद्देश्य विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के भविष्य को

सुरक्षित करना है, अर्थात् माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के बाद। धारणा यह है कि अपने जीवनकाल के दौरान, माता–पिता/अभिभावक अपने विकलांग बच्चे की देखभाल करेंगे।

18. इसके अलावा, कर के उद्देश्यों के लिए आय से कटौती का ऐसा लाभ अधिनियम की धारा ८० डीडी में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य है। विधायिका ने यह शर्त प्रदान की है कि पॉलिसी के तहत राशि/वार्षिक राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही जारी की जाएगी। यह विधायी आदेश है। इस प्रावधान को कोई चुनौती नहीं है। प्रार्थना यह है कि अधिनियम की धारा ८० डीडी में उचित संशोधन किंया जाए। यह न्यायालय ससंद को किसी निर्दिष्ट तरीके से संशोधन करने या वैधानिक प्रावधान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करके केवल यह निर्धारित कर सकता है कि क्या ऐसा प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं। हालाँकि, इस संबंध में कोई विशेष प्रार्थना नहीं है, लेकिन रिट याचिका में भेदभाव का तर्क उठाया गया है। यहां, हम पाते हैं कि उत्तरदाता सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित करने में सक्षम हैं कि मुख्य प्रावधान उचित वर्गीकरण पर आधारित है, जो इसके पीछे एक वैध तर्क है और इसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक विशिष्ट उद्देश्य है।

19. यूपी राज्य और अन्य बनाम कमला पैलेस, (२०००) १ एससीसी ५५७ में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद १४ के संबंध में एक राजकोषीय क़ानून पर विचार करते हुए निम्नानुसार कहा है:

> "११. अनुच्छेद १४ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। अनुमेय वर्गीकरण के परीक्षण को पूरा करने के लिए, यह "मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल करने वाला" नहीं होना चाहिए, बल्कि आधारित होना चाहिए विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए उचित और उचित संबंध रखने वाले कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर (*विशेष न्यायालय विधेयक, १९७८ , री, सात–न्यायाधीशों की पीठ; आरके गर्ग बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, पांच–न्यायाधीशों की पीठ देखें*) आरके गर्ग मामले में आगे यह माना गया कि आर्थिक गतिविधियों या कराधान के क्षेत्र से संबंधित कानून नागरिक अधिकारों जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म आदि को छूने वाले कानूनों की

तुलना में अधिक अक्षांश का आनंद लेते हैं। ऐसे कानून को केवल अशिष्टताओं और असमानताओं के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, ऐसे कानून जटिल स्थितियों और जटिल समस्याओं का ध्यान रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो किसी भी सिद्धांतवादी दृष्टिकोण या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूलों के माध्यम से समाधान स्वीकार नहीं करते हैं..."।

20. इसके अलावा, **एसके दत्ता, आयकर अधिकारी बनाम लॉरेंस सिंह इंग्टी,** (१९६८) २ एससीआर १६५ में, इस अदालत की संविधान पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

"८. यह विवाद में नहीं है कि कराधान कानूनों को भी अनुच्छेद 14 की टेस्ट पास करनी होगी। यह इस न्यायालय द्वारा *मूपिल नायर बनाम केरल राज्य* में निर्धारित किया गया है। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने *ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* मामले में देखा, यह तय करते समय कि कोई कराधान कानून भेदभावपूर्ण है या नहीं, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन जिसपर कर लगाना है इस संबंध में राज्य के पास व्यापक विवेकाधिकार है और कोई क़ानून इस आधार पर चुनौती के लिए खुला नहीं है कि यह कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं पर कर लगाता है और दूसरों पर नहीं; यह तभी होता है जब इसके चयन की सीमा के भीतर, कानून असमान रूप से संचालित होता है, और इसे किसी भी वैध वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह अच्छी तरह से तय है कि किसी राज्य को किसी चीज़ पर कर लगाने के लिए सब कुछ पर कर नहीं लगाना पड़ता है। यदि यह उचित रूप से ऐसा करता है तो इसे कराधान के लिए जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि दरों को छांटने और चुनने की अनुमति है।

21. **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम नल्लामिल्ली रामी रेड्डी और अन्य,** (२००१) ७ एससीसी ७०८ में, इस न्यायालय ने कहा:

"८. संविधान का अनुच्छेद १४ जो प्रतिबंधित करता है वह "वर्ग विधान" है न कि "विधान के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण"। यदि विधायिका विधायी उद्देश्यों के

लिए व्यक्तियों को उचित रूप से वर्गीकृत करती है ताकि उन्हें एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग के तहत लाया जा सके, तो यह समान व्यवहार से इनकार करने के आधार पर चुनौती देने के लिए नहीं है कि कानून अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। अनुमेय वर्गीकरण का परीक्षण दो गुना है: (i) कि वर्गीकरण को सुगम अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूहित व्यक्तियों को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और (ii) उस भिन्नता का प्राप्त की जाने वाली उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद १४ वर्गीकरण पर जोर नहीं देता है, जो वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण है। एक वर्गीकरण तब तक उचित होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो यदि प्रत्येक समूह में समानता और एकरूपता है, तो कानून भेदभावपूर्ण नहीं होगा, यद्यपि कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई विचित्रता के कारण एक वर्ग में शामिल कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में लाभ मिलता है जब तक उन्हें विशेष व्यवस्था के लिए अलग नहीं किया जाता । ..."

22. याचिकाकर्ता का यह कहना उचित हो सकता है कि ऐसे कठोर मामले हो सकते हैं जहां विकलांग व्यक्तियों को अपने माता–पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त आधार पर भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, जहां अभिभावक बहुत बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी जीवित है, हालांकि वह अब कमाने में सक्षम नहीं है या वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सेवा में था और उक्त सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे मामलों में, ऐसे माता–पिता/अभिभावक के लिए अपने विकलांग बच्चे की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करने के बाद भी, विकलांग व्यक्ति कोई वार्षिकी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, केवल इसलिए कि ऐसे विकलांग व्यक्ति के माता–पिता/अभिभावक अभी भी जीवित हैं। ऐसी और भी कई स्थितियाँ हो सकती हैं। हालाँकि, इन पहलुओं का ध्यान रखना और अधिनियम की धारा ८० डीडी में आवश्यक संशोधन करके उपयुक्त प्रावधान प्रदान करना विधानमंडल का काम है । वास्तव में, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने यह भी महसूस किया है कि अन्य पॉलिसी धारकों की तरह, जीवन आधार पॉलिसी को भी प्रस्तावक की ५५ वर्ष की आयु के बाद परिपक्व होने की अनुमति दी जानी चाहिए और वार्षिकी राशि एलएलसी या नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए।

23. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम प्रतिवादी नंबर १ से आग्रह करते हुए इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि वह इस फैसले में न्यायालय द्वारा उजागर किए गए पहलुओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान पर फिर से विचार करें और उपयुक्त संशोधन करने की संभावना तलाशें ।

Translated and vetted by

Rakesh Raushan

Civil Judge (Senior Division)–VIII

Cum Judicial Magistrate

Civil Court, Dhanbad

J.O. Code– JH0645